तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से इकबालिया जवाब दावा पेश कर दिये जाने से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की जाकर प्रकरण को सीधे ही अंतिम बहस में लिया गया। प्रकरण में वकील वादीगण ने बहस सुनी जाने हेतु निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण ने बहस सुनी जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई। वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति के आधार पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् बहु पक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 09.02.2024 को पेश हो। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	
09.02.2024	पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में बरूए राजीनामा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) (दिलीप सिंह) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 16:46:06 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राज0

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
91/2022	2023/222	19.07.2022	09.02.2024

उनवान प्रकरण

1–कैलाशचन्द उम्र 55 साल

2–प्रहलादसिंह उम्र 50 साल

3–भगवानसिंह उम्र 58 साल

4–राजेश कुमार उम्र 45 साल

पुत्रगण रामभजन

समस्त जाति जाट निवासीगण वार्ड नम्बर–6 महात्मा गांधी कॉलेज के पीछे कस्बा श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

––वादीगण–

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

बनाम्

1–सुरेश कुमार उम्र साल

2–रामरतन उम्र साल

3–रामनिवास उम्र साल

पुत्रगण ग्यारसीलाल

4–निर्मल कुमार उम्र साल

5–राकेश कुमार उम्र साल

पुत्रगण मदनलाल

6–रूकमा देवी पत्नी स्व. मदनलाल उम्र साल

जाति जाट निवासीगण वार्ड नम्बर–6 महात्मा गांधी कॉलेज के पीछे कस्बा श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 16:46:06 IST
Reason: SelfAttested

7–जितेन्द्र उम्र साल

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

8—बंशीधर उम्र साल

9—रतनलाल उम्र साल

10—सुभाष उम्र साल

पुत्रगण प्रभातीलाल

11—गणेशी पुत्री प्रभातीलाल उम्र साल

12—तींजा देवी पत्नी प्रभातीलाल उम्र साल

जाति जाट निवासीगण वार्ड नम्बर—6 महात्मा गांधी कॉलेज के पीछे कस्बा श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

13—भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

——प्रतिवादीगण—

उपस्थित :—

श्री दिलीप कुमार मंगावा, एड0 वादीगण अभिभाषक।

श्री भँवर सिंह, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की ओर से अभिभाषक।

श्री धर्मेन्द्र कुमार गूर्जर, एड0 प्रतिवादीगण संख्या 7 से 12 की ओर से अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से।

वादपत्र बाबत् घोषणा, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राज. काश्त. अधि. 1955)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1011 क्षैत्रफल 0.1500 हैक्टर, 1012 क्षैत्रफल 1.2100 हैक्टर, 1013 क्षैत्रफल 0.0300 हैक्टर, 1014 क्षैत्रफल 0.0100 हैक्टर, 1015 क्षैत्रफल 0.0300 हैक्टर, 1016 क्षैत्रफल 0.9200 हैक्टर, 1017 क्षैत्रफल ...00 हैक्टर, 1019 क्षैत्रफल 1.0000 हैक्टर कुल किता—8 कुल क्षैत्रफल 3.4900 हैक्टर तन ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 16:46:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में स्थित होकर इसकी खातेदारी वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 ता 12 के नाम दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 ता 12 आपस मे एक ही कुटुम्ब परिवार के सदस्य है एवं उक्त वर्णित कृषि भूमि पक्षकारान वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 ता 12 की पैत्रिक कृषि भूमियां है। जिनका मौके पर पक्षकारान ने पारिवारिक सैटिलमेन्ट बाहमी बंटवारा कर रखा है एव अलग अलग काबिज काश्त चले आ रहे है। मौके के बाहमी बंटवारा के अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 1017 क्षैत्रफल 0.1400 हैक्टर, 1019 क्षैत्रफल 1.0000 हैक्टर पर वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 1011 क्षैत्रफल 0.1500 हैक्टर, 1012 क्षैत्रफल 1.2100 हैक्टर, 1013 क्षैत्रफल 0.0300 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या–1 ता 6 काबिज काश्त चले आ रहे है एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 1014 क्षैत्रफल 0.0100 हैक्टर, 1015 क्षैत्रफल 0.0300 हैक्टर, 1016 क्षैत्रफल 0.9200 हैक्टर पर प्रतिवादी संख्या–7 ता 12 काबिज काश्त चले आ रहे है एवं मौके पर सींव डोल कायम कर रखी है एवं अलग अलग काबिज काश्त चले आ रहे है। इसलिए वादीगण उक्तानुसार भूमियों की खातेदारी मौके के बाहमी बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज करवाने के अधिकारी है एवं प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत करने का कोई अधिकार किसी किस्म का नही होने से वादीगण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को उक्तानुसार भूमियों की खातेदारी मौके के बाहमी बंटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज करवाने हेतु कहा तो पहले तो प्रतिवादीगण आश्वासन देते रहे है परन्तु अब प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी आ गयी है इसलिए दिनांक 25–05–2022 को इन्कार हो गये है एवं वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहमत करने एवं बाहमी बंटवारा को भंग करने की धमकी दी जाने पर अदालत में [illegible] दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने [illegible] का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार [illegible] का निवेदन किया कि:– तन ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1011 क्षैत्रफल 0.1500 हैक्टर, 1012 क्षैत्रफल 1.2100 हैक्टर, 1013

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 16:46:06 IST
Reason: SelfAttested

09/02/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

क्षेत्रफल 0.0300 हैक्टर, 1014 क्षेत्रफल 0.0100 हैक्टर, 1015 क्षेत्रफल 0.0300 हैक्टर, 1016 क्षेत्रफल 0.9200 हैक्टर, 1017 क्षेत्रफल 0.1400 हैक्टर, 1019 क्षेत्रफल 1.0000 हैक्टर कुल किता–8 कुल क्षेत्रफल 3.4900 हैक्टर में मौके के बाहमी बंटवारा व कब्जा काश्त के अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 1017 क्षेत्रफल 0.1400 हैक्टर, 1019 क्षेत्रफल 1.0000 हैक्टर का वादीगण को एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 1011 क्षेत्रफल 0.1500 हैक्टर, 1012 क्षेत्रफल 1.2100 हैक्टर, 1013 क्षेत्रफल 0.0300 हैक्टर का प्रतिवादी संख्या–1 ता 6 को एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 1014 क्षेत्रफल 0.0100 हैक्टर, 1015 क्षेत्रफल 0.0300 हैक्टर, 1016 क्षेत्रफल 0.9200 हैक्टर का प्रतिवादी संख्या–7 ता 12 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 ता 6 एवं प्रतिवादी संख्या–7 ता 12 के नाम उक्तानुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अलग अलग दर्ज की जावे एवं एक दूसरे का नाम एक दूसरे की बाहमी बंटवारा में आयी हुयी भूमि से हजफ किये जाने तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में करते हुए यह वाद वास्ते घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक/साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 ने उपस्थित होकर वादीगण के पक्ष में राजीनामा पेश किया। जिसमें वादीगण की पहचान वादीगण वकील श्री दिलीप कुमार मंगावा एड0 ने एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 की पहचान श्री भँवर सिंह एड0 के द्वारा की जाने पर राजीनामा बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 7 से 12 की ओर श्री धर्मेन्द्र कुमार गूर्जर एड0 ने इकबाली जवाब दावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 13 की तामील असालतन होने के बावजूद [illegible] अदालत नही आने पर प्रतिवादी संख्या 13 के विरूद्ध [illegible] में लाई गई। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या–1 लगायत 6 के [illegible] वादीगण के पक्ष में वादपत्र को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 16:46:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

स्वीकार करते हुए राजीनामा पेश कर तस्दीक करवा लिए जाने एवं प्रतिवादी संख्या–7 लगायत 12 के द्वारा वादपत्र को स्वीकार करते हुए इकबालिया जवाब दावा वादीगण के पक्ष में पेश कर खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु सहमति दिए जाने से वादपत्र में आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का अन्तिम निस्तारण बरूए राजीनामा किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण मय पक्षकारान ने बहस सुनी जाकर प्रकरण का अन्तिम निस्तारण किए जाने हेतु सहमति जाहिर की।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान की बहस बहुपक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकुलाय उभय पक्षकारान द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 जमाबन्दीयॉ,नक्शा ट्रेस, पक्षकारान के मध्य आपस में हुए राजीनामा दिनांक 25.07.2022 एवं प्रतिवादीगण संख्या–7 से 12 की ओर से प्रस्तुत इकबालिया जवाब दावा इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से वादग्रस्त कृषि भूमियॉ खसरा नम्बर 1011 क्षैत्रफल 0.1500 हैक्टर, 1012 क्षैत्रफल 1.2100 हैक्टर, 1013 क्षैत्रफल 0.0300 हैक्टर, 1014 क्षैत्रफल 0.0100 हैक्टर, 1015 क्षैत्रफल 0.0300 हैक्टर, 1016 क्षैत्रफल 0.9200 हैक्टर, 1017 क्षैत्रफल 0.1400 हैक्टर, 1019 क्षैत्रफल 1.0000 हैक्टर कुल किता–8 कुल क्षैत्रफल 3.4900 हैक्टर तन ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) की राजस्व रिकार्ड में खातेदारी वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या–1 ता 12 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना स्पष्टतः प्रकट होता है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही कुटुम्ब परिवार के सदस्य होने से उक्त भूमियॉ वादीगण व प्रतिवादीगण की पैत्रृक भूमियॉ होना प्रकट होती है। पक्षकारान वादीगण व प्रतिवादीगण के द्वारा पारिवारिक सैटलमेन्ट बाह्मी बंटवारा कर उक्त बंटवारे के अनुसार उक्त भूमियों पर अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते आना प्रकट होता हैं। जिसके लिए प्रतिवादीगण 1 ता 6 ने वादीगण के पक्ष में राजीनामा व प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 16:46:06 IST
Reason: SelfAttested

संख्या–7 लगायत 12 ने इकबालिया जवाब दावा वादीगण के पक्ष में प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए न्यायालय के समक्ष पेश किया है जिससे भी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती हैं। अतः ऐसी स्थिति में पक्षकारान् वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 12 के उक्त भूमियों के पक्षकारान् की पैत्रिक भूमियाँ होने से उनको वैधानिक हक हिस्से में मिलने वाले हक हिस्से तक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना प्राकृतिक न्याय की भावना को मध्यनजर रखते हुए खातेदारी अधिकारों की उद्‌घोषणा की जाकर मौके पर कब्जे काश्त अनुसार विधिक बंटवारा किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। वादीगण व प्रतिवादीगण को उक्त भूमियों के खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाकर विधिक बंटवारा किये जाने हेतु वादीगण द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा को बरूए राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि तन ग्राम श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1011 क्षेत्रफल 0.1500 हैक्टर, 1012 क्षेत्रफल 1.2100 हैक्टर, 1013 क्षेत्रफल 0.0300 हैक्टर, 1014 क्षेत्रफल 0.0100 हैक्टर, 1015 क्षेत्रफल 0.0300 हैक्टर, 1016 क्षेत्रफल 0.9200 हैक्टर, 1017 क्षेत्रफल 0.1400 हैक्टर, 1019 क्षेत्रफल 1.0000 हैक्टर कुल किता–8 कुल क्षेत्रफल 3.4900 हैक्टर में [illegible] बाहमी बंटवारा व कब्जा काश्त के अनुसार कृषि भूमि खसरा नम्बर 1017 क्षेत्रफल 0.1400 हैक्टर, 1019 क्षेत्रफल 1.0000 हैक्टर का वादीगण को एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 1011 क्षेत्रफल 0.1500 हैक्टर, 1012 क्षेत्रफल 1.2100 हैक्टर, 1013 क्षेत्रफल 0.0300 हैक्टर का प्रतिवादी संख्या–1 ता 6 को एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 1014 क्षेत्रफल 0.0100

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 16:46:06 IST
Reason: SelfAttested

हैक्टर, 1015 क्षेत्रफल 0.0300 हैक्टर, 1016 क्षेत्रफल 0.4200 हैक्टर को प्रतिवादी संख्या–7 ता 12 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 ता 6 एवं प्रतिवादी संख्या–7 ता 12 के नाम पृथक-पृथक खातेदारी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में अलग अलग दर्ज किए जाने की स्वीकृति दी जाती हैं तथा एक–दूसरे का नाम बाहमी बंटवारे में आई हुई भूमियों से नाम हजफ किए जाने की स्वीकृति दी जाती हैं तथा प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण की भूमि के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत नही करे, ना ही बेदखल करे, ना ही दिगर से करावे। राजीनामा दिनांक 25.07.2022 को डिक्री का भाग बनाया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 09.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.20 16:46:06 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)